Ombudsman

Fairness for all

‘सतर्कता सूचना’, संरक्षित प्रकटीकरण अधिनियम की निर्देषिका

यदि आप अपने कार्यस्थल पर हो रहे किसी गंभीर कृत्य की रिपोर्ट करना चाहते हैं तो लोकपाल आपकी मदद कर सकता है।

उपयुक्त प्राधिकारी

संरक्षित प्रकटीकरण अधिनियम में निम्न को ‘उपयुक्त प्राधिकारियों’ के रूप में नामित किया गया है जिनके समक्ष किसी गंभीर कृत्य का प्रकटीकरण किया जा सकता है:

- पुलिस आयुक्त
- नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
- गंभीर जालसाजी कार्यालय के निदेषक
- सतर्कता एवं सुरक्षा के महानिरीक्षक
- लोकपाल
- पर्यावरण के संसदीय आयुक्त
- स्वतंत्र पुलिस आचरण प्राधिकरण
- महान्यायवादी
- राज्य सेवाओं के आयुक्त
- स्वास्थ्य एवं अक्षमता आयुक्त
- प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसी के प्रमुख
- कुछ निजी क्षेत्र के पेषेवर संगठनों के प्रमुख, जिनको सदस्यों पर अनुषासनिक षक्तियां प्राप्त हैं

अधिक जानकारी या सहायता के लिए कृपया हमारे कर्मचारियों से संपर्क करें।

संरक्षित प्रकटीकरण अधिनियम क्या है?

संरक्षित प्रकटीकरण अधिनियम, ऐसे कर्मचारियों को संरक्षण प्रदान करता है जो अपने संगठनों में या उनके द्वारा किए जा रहे किन्हीं गंभीर कृत्यों की रिपोर्ट करना चाहते हैं। इसे ही 'सतर्कता सूचना' भी कहा जाता है।

संरक्षित प्रकटीकरण करते समय अनुसरण किए जाने के लिए इस अधिनियम में प्रक्रियाएं स्थापित की गई हैं।

गंभीर कृत्य क्या हैं?

इसके उदाहरणों में निम्न षामिल हैं:

- सार्वजनिक निधियों या संसाधनों का गैरकानूनी, भ्रश्टतापूर्वक या अनियमित रूप से उपयोग किया जाना
- ऐसा व्यवहार, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण, अथवा कानून अनुपालन के लिए गंभीर जोखिम उत्पन्न करता हो
- कोई आपराधिक कृत्य
- सरकारी कार्मिकों द्वारा भारी लापरवाही या कुप्रबंधन

प्रकटीकरण संरक्षित कब होता है?

संरक्षित प्रकटीकरण करने के लिए, आपके लिए संबंधित संगठन का वर्तमान या भूतपूर्व कर्मचारी होना अनिवार्य है। 'कर्मचारी' की व्यापक परिभाशा है, तथा इसमें वह व्यक्ति भी षामिल है जिसे संगठन हेतु कार्य करने के लिए अनुबंधित किया गया हो।

आपका प्रकटीकरण संरक्षित होगा यदि:

- आपके द्वारा प्रकट की जा रही सूचना, उस संगठन में या उसके द्वारा किसी गंभीर कृत्य के बारे में है
- आपका तर्कसंगत विष्वास है कि वह सूचना सत्य है या सत्य होनी संभावित है
- आप मामले की जांच कराना चाहते हैं।

संरक्षित प्रकटीकरण करना

यदि आप सतर्कता सूचना देने पर विचार कर रहे हैं, तो आप पहले हमारे किसी कर्मचारी से बात कर सकते हैं जो आपको अधिनियम के बारे में जानकारी और मार्गदर्षन प्रदान कर सकते हैं।

यदि आपके संगठन में गंभीर कृत्यों के बारे में सूचनाओं के निबटारे के लिए प्रणाली स्थापित है, तो आपको उनके अनुसार आपका प्रकटीकरण करना चाहिए।

हालांकि कुछ मामलों में आप अधिनियम में सूचीबद्ध प्राधिकारियों के समक्ष अपना प्रकटीकरण कर सकते हैं (पीछे देखें)।

यदि आप संरक्षित प्रकटीकरण करते हैं, तो आपकी पहचान उजागर करने वाली सूचना गोपनीय रखी जाएगी, यदि अधिनियम का कोई अपवाद लागू नहीं होता है।

लोकपाल के कार्य

अधिनियम के अंतर्गत लोकपाल आपको निम्न के बारे में सूचना प्रदान कर सकते हैं:

- किस प्रकार के प्रकटीकरणों को संरक्षित किया गया है
- प्रकटीकरण किस प्रकार और किसके समक्ष किए जा सकते हैं
- अधिनियम में सूचीबद्ध संबंधित प्राधिकारियों की भूमिकाएं
- सतर्कता–सूचना देने पर उत्पीड़न किए जाने की स्थिति में अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध संरक्षण

हमसे बात करें

यदि आपको यह जानकारी आपकी स्थिति के अनुसार उपयुक्त लगती है, तो आप पहले हमारे किसी विषेशज्ञ कर्मचारी से बात कर सकते हैं। संपर्क विवरण पीछे दिए गए हैं।

आप द्वारा दी गई कोई भी सूचना गोपनीय रखी जाएगी।

लोकपाल (ऑम्बड्समैन) से संपर्क करें

मुफ्त फोन: **0800 802 602**

www.ombudsman.parliament.nz

ईमेलरू
info@ombudsman.parliament.nz

डाक पतारू
PO Box 10152, Wellington 6143

फैक्सरू
(04) 471 2254

कार्यालय पूछताछरू
8:30 बजे सुबह से 5:00 बजे षाम तक सोमवार से षुक्रवार

वेलिंगटन
लेवल 14, 70 दि टैरेस, वेलिंगटन, 6143

ऑकलैण्ड
लेवल 10, 55-65 षार्टलैण्ड स्ट्रीट, ऑकलैण्ड 1010

क्राॅइस्टचर्च
545 वाइराकेई रोड, हेयरवुड, क्राॅइस्टचर्च 8053